मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3606

08.08.2022 को उत्तर के लिए

मध्य प्रदेश में वन संरक्षण

3606. श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल :
श्री दुर्गा दास उइके :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में वन संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में वन संरक्षण और विस्तार की योजनाओं के सकारात्मक परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आकांक्षी जिलों में वन संरक्षण के लिए किसी विशेष योजना का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) विद्युत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) लगभग 18058.24 मेगावाट की क्षमता अक्षम और पुरानी ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को अब तक बंद किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने कुछ और इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना बनाई है। उसी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	राज्य	क्षमता और विन्यास (मेगावाट)
1.	बरौनी	बिहार	220 (2X110)
2.	टांडा	यू.पी.	440 (4X110)

(ii) ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) के संबंध में, कई टीपीपी ने पहले से ही प्रभावी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया है अर्थात सबक्रिटिकल से सुपरक्रिटिकल तक और अब दक्षता में सुधार के लिए अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कोयले की खपत और उत्सर्जन में कमी आई है। अब तक 61,710 मेगावाट (89 इकाई) और 1320 मेगावाट

(2 इकाई) की सुपरक्रिटिकल/अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल इकाइयों को कुल क्षमता के साथ चालू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) और बीएचईएल के सहयोग से एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रोद्योगिकी भी विकसित कर रहा है, जिसमें पारंपरिक 500 मेगावाट सब-क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजनाओं की तुलना में लगभग 46% की उच्च दक्षता और 15% कम CO_2 उत्सर्जन है। प्रौद्योगिकी का अनुसंधान एवं विकास चरण पूरा हो चुका है और प्रदर्शन संयंत्र का निष्पादन चालू किए जाने के स्तर पर है।

(iii) 8,700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन हैं और 7000 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी दे दी गई है।

(iv) देश में 14103.50 मेगावाट क्षमता के जल विद्युत संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं

(v) भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य की घोषणा की है। दिनाक 30.06.2022 तक, भारत में नवीकरणीय क्षमता 160.91 गीगावाट (वृहद जल विद्युत सहित) और 114.06 गीगावाट (वृहद जलविद्युत को छोड़कर) है।

इसके अलावा, सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- निर्धारित प्रक्रिया के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क में छूट,
- वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्ट्री की घोषणा।
- नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को प्लग एंड प्ले के आधार पर भूमि और प्रक्षेपण सेवा उपलब्ध करने के लिए अल्ट्रा वृहद नवीकरणीय ऊर्जा उद्यानों की स्थापना।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप **फेज II,** 12000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम **फेज II** आदि जैसी योजनाएं।
- नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा गलियारा योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना।
- निवेश को आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी और पवन परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश।

(ख) और (ग): मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वन संरक्षण में योगदान देने वाली सभी योजनाओं को पूरे राज्य में लागू किया गया है। राज्य में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	योजना कोड बजट बुक के अनुसार	योजना का नाम
1	3730	वन्यजीव पर्यावास का समग्र विकास
2	3896	मानव वन्यजीव पशु संघर्ष में मुआवजा
3	5109	गांवों के पुनर्वास के लिए मुआवजा
4	7488	वन विकास एजेंसी
5	7882	कार्य योजना का कार्यान्वयन
6	5317	गहन वन प्रबंधन

इसके अलावा, राष्ट्रीय वन नीति (एनएफ़पी), 1988, मध्य प्रदेश सहित देश में विभिन्न प्रकार की भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करती है। देश में वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने और सुधारने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़ एण्ड सीसी) ने कई पहलें की हैं। इनमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और वन्यजीव आवासों का विकास। प्रतिपूरक वनरोपण निधि नियम, 2018 में सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, कृत्रिम पुनर्जनन और वन-संस्कृति संचालन के प्रावधान भी शामिल हैं, जो वन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान करते हैं।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विभिन्न योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के कारण पिछले दो दशकों में राज्य के वन क्षेत्र में सुधार हुआ है। कुछ मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं-

(i) समुदाय आधारित वन बहाली कार्यक्रम के तहत राज्य के 1152 गांवों में फैले 4.3 लाख हेक्टेयर वन भूमि को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है।

(ii) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए आईएसएफआर के अनुसार राज्य का वन क्षेत्र वर्ष 2003 में 76429 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2021 में 77492.60 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

(घ) नीति आयोग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के नमूने में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पहचान, प्रगति की कड़ी निगरानी और जिलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त आवंटन प्रदान करना शामिल है। कार्यक्रम के तहत अभिज्ञात 5 क्षेत्रों में 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का चयन किया गया है, अर्थात, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी अवसरंचना और कृषि और जल संसाधन।इन संकेतकों पर की गई प्रगति के आधार पर किसी जिले के प्रदर्शन की निगरानी की जाती है और हर महीने हुई प्रगति के आधार पर जिलों की रैंकिंग की जाती है। इससे उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है जिसके परिणामस्वरूप तेजी से सुधार होता है। समग्र रूप से और पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को उनके प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटन के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की मुख्य रणनीति मौजूदा योजनाओं के अभिसरण पर आधारित है, जिनकी अपनी निधियन व्यवस्था है।

परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बार जब संबंधित जिला प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त आवंटन के लिए पात्र हो जाते हैं, तो उन्हें इस तरह के अनुदान से वित्त पोषित होने वाली परियोजनाओं को सूचीबद्ध करके एक कार्य योजना तैयार करनी होती है। आकांक्षी जिलों में वन संरक्षण के लिए किसी विशेष योजना का प्रस्ताव नहीं है।

*****